

## पूर्वात्तर रेलवे

### अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं. ई(एन.जी.)11/2007/आर.सी-04/सी.ओ.आर.ई./1 दिनांक 16.10.2017, 12.12.2017 में निहित निर्देशों के आधार पर महाप्रबंधक महोदय के अनुमोदनोपरान्त गोरखपुर मुख्यालय इकाई के विभिन्न विभागों की रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों से मासिक पारिश्रमिक के आधार पर निम्नलिखित पदों पर रीइंगेज करने का निर्णय लिया गया है-

क्र.सं.	विभाग	संवर्ग	रिक्त पदों की संख्या
1	चिकित्सा विभाग	लिपिक संवर्ग	03
2	एस. एण्ड टी.	लिपिक संवर्ग	10
		डी.सी.एम.	08
		एस.ई./जे.ई.टेली	05
3	इंजीनियरिंग/मु0	लिपिक संवर्ग	17
4	इंजीनियरिंग/टी.एम.सी.	सी.से.ई./जे.ई.	20
		टेक्निशियन	35
		खलासी	40
5	स्टोर	लिपिक संवर्ग	12
6	विद्युत	लिपिक संवर्ग	06
		SSE/JE	04
7	यांत्रिक	लिपिक संवर्ग	08
8	प्रबंध	सी.एल.ए.	10
		प्रचार निरीक्षक	02
		फोटोग्राफर	01
9	परिचालन	लिपिक संवर्ग	04
10	वाणिज्य	लिपिक संवर्ग	07
		वाणिज्य निरीक्षक/टी.टी.ई.	20
11	कार्मिक	लिपिक संवर्ग	12
12	उप.मु.ई. (गो.से.)	मोटर चालक	03
		मेसन	06
		लोहार	04
		कारपेन्टर	06
		माली	12
		SSE	01
		लिपिक	02
13	उप.मु.ई. (कालोनी)	लाइनमैन	05
		फीटर	10
		खलासी	10
योग			283

अतः उपरोक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से रीइंगेज करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी शर्तें निम्नवत् होंगी-

1. इस अधिसूचना के तहत आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि 10.04.2018 को आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2. यह री-इंगेजमेंट एक वर्ष तक के लिए एवं इसके आगे अवधि विस्तार हेतु प्रति वर्ष व स्कीम की अवधि तक पीएचओडी के द्वारा सन्तोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा। यह इंगेजमेंट किये जाने से एक वर्ष तक अथवा रेल कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा आरआरसी/आरआरबी से कर्मचारी उपलब्ध होने पर अथवा विभागीय नामिका प्राप्त होने पर अथवा इंगेजमेंट स्कीम दिनांक 01.12.2019 की अवधि पूर्ण होने तक, जो पहले हो, तक ही सीमित रहेगी एवं इनका कार्य विस्तार उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत स्कीम के अवधि विस्तार तक सीमित रहेगा।
3. री-इंगेजमेंट के समय सेवानिवृत्तकर्मियों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए।

4. रीइंगेजमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक व भत्ते रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(एन.जी.)।।/2007/आर.सी./कोर/। दिनांक 16.10.2017 एवं समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तों से शासित होंगे।
5. रीइंगेजमेंट किए गए भूतपूर्व कर्मचारियों की सेवा कभी भी बिना नोटिस समाप्त की जा सकती है।
6. ऐसे आवेदक जिन्होंने अधिसूचना के पूर्व ही अपने आवेदन दिये हैं वे पुनः निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संलग्नों के साथ आवेदन प्रेषित करें।
7. महाप्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय, गोरखपुर के परिवाद कक्ष में इसके लिए एक बाक्स भी रखा गया है, जिसमें आवेदन डाला जा सकता है तथा इच्छुक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड डाक से परिवाद कक्ष, महाप्रबंधक (कार्मिक) कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, पिन-273012 को भी आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि दिनांक 10.04.2018, सायं 1800 बजे तक है।
8. रिक्ति के अनुसार संबंधित कैंडिडेट के सेवानिवृत्त रेल सेपक ही आवेदन कर सकते हैं।
9. इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में भी अधिसूचना जारी की जा रही है।
10. यह स्कीम 01.12.2019 तक वैध होगी, तत्संबंधी रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जाएगा।
11. आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

अतः दिनांक 10.04.2018 तक सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो मुख्यालय इकाई गोरखपुर में मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा पर (सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र एवं पी.पी.ओ. के साथ) दिनांक 10.04.2018 तक महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को प्रेषित करेंगे।

संलग्न-आवेदन पत्र का प्रारूप।

सकाधि/मुख्यालय  
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)

सं. का/227/1/री.इंगेजमेंट/भाग-VIII/2018

दिनांक 23.03.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी, पू.उ.रे, गोरखपुर- कृपया उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में अधिसूचित करने की व्यवस्था करें।
2. सचिव/महाप्रबंधक(कार्मिक)/पू.उ.रे/गोरखपुर।
3. नोटिस बोर्ड म.प्र.(कार्मिक) कार्यालय, पू.उ.रे, गोरखपुर।
4. महामंत्री नरम/अ.जा/अजजा./ओ0बी0सी0 एसोशियन्, गोरखपुर
5. प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष/प्रबंध, परिचालन, वाणिज्य, कार्मिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, यांत्रिक, विद्युत, भण्डार, सिगनल एवं दूर संचार/उप मु.ई. (गोरखपुर क्षेत्र), उप मु.ई. (कालोनी), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
6. अपर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
7. विसमुलेधि/स्थापना अराज, पू.उ.रे, गोरखपुर।
8. सकाधि/आइ.टी./पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को इस आधय से प्रेषित कि उपरोक्त अधिसूचना को रेलवे के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

रेलवे बोर्ड का सं० ई(एन.जी.) 11/2007/आर.सी.-04/सी.ओ.आर.ई./। दिनांक 12.12.2017

संदर्भ: महाप्रबंधक/कार्मिक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं. का/227/1/री.इंगेजमेंट/भाग-VIII/2018 दिनांक 23.03.2018

1	नाम	स्व-प्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
2	पिता का नाम	
3	जन्म तिथि	
4	सेवानिवृत्ति के समय पद	
5	आवेदित पद	
6	कार्यालय जहां से सेवानिवृत्ति हुए हैं	
7	सेवानिवृत्ति की तिथि	
8	वर्तमान एवं ग्रेडपै	
9	अंतिम मूल वेतन	
10	पेंशन की रकम	
11	पत्राधार का पता	
12	सम्पर्क नम्बर (मोबाईल)	
13	सलग्न (है/नहीं)	1. सेवा प्रमाण पत्र- 2. पेंशन भुगतान आवेदन-

मेरी जानकारी में ऊपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड/महाप्रबंधक(कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

दिनांक.....

पत्राधार का पता-

.....  
.....

नाम-

मोबाईल नम्बर-

.....